UPCH010020342024

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, चित्रकूट ।

उपस्थित– शेष मणि .....एच0जे0एस0

व्यवहार अपील नं0– 17/2024

इन्द्रपाल उम्र 55 वर्ष पुत्र दिरपाल निवासी दुर्जन पुरवा मौजा मऊ(ब) तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट

1/1 मनफूल

1/2 शिवबरन

1/3 बलबीर

1/4 अम्बिका

1/5 आनन्द पुत्रगण स्व0 इन्द्रपाल निवासीगण दुर्जन पुरवा मौजा मऊ(ब) तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट

.....अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. रामबहोरी उम्र 46 वर्ष पुत्र गंगुवा निवासी दुर्जन पुरवा मौजा मऊ(ब) तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट।
2. मतगंजन पुत्र रामबहोरी निवासी दुर्जन पुरवा मौजा मऊ(ब) तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट।
3. रामशरन पुत्र गंगुवा निवासी दुर्जन पुरवा मौजा मऊ(ब) तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट।
4. जगतपाल पुत्र देशराज निवासी दुर्जन पुरवा मौजा मऊ(ब) तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट।
5. सदाशिव पुत्र देशराज निवासी दुर्जन पुरवा मौजा मऊ(ब) तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट।

...प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत व्यवहार अपील अन्तर्गत धारा 96 व आदेश 41 (1) नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विद्वान सिविल जज, (जू0डि0, चित्रकूट द्वारा मूलवाद संख्या–393/2020 इन्द्रपाल बनाम रामबहोरी आदि में पारित एक पक्षीय निर्णय दिनॉकित 22.07.2024 व आज्ञप्ति दिनॉकित 03.08.2024 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद को एक पक्षीय रूप से आज्ञप्ति कर दिया गया है।

2. प्रस्तुत अपील को प्रोद्भूत करने वाले तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी (यहॉ अपीलार्थी) के द्वारा मूलवाद संख्या– 393/2020 इन्द्रपाल बनाम रामबहोरी आदि

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.04.04 17:02:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रतिवादीगण(यहॉ प्रत्यर्थीगण) के विरूद्ध शाश्वत व्यादेश के उपचार हेतु संस्थित किया गया कि गाटा संख्या– 810 रकवा 0.680 हे0 यानी 3 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम दुर्जन पुरवा मौजा मऊ(ब) तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट वादी की भूमिधरी भूमि है जिसे वादपत्र के नक्शा नजरी में अक्षर क,ख,ग,घ, से प्रदर्शित किया गया है। वादी की भूमिधरी के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग पर जिसकी चौडाई 3 गांठा लम्बाई 21 गांठा जो अक्षर क,य,च,र, से प्रदर्शित किया गया है जिसे वादपत्र में आगे विवादित भूमि कहा गया है। वादी के गाटा सं0– 810 के उत्तर चकरोड है जो उत्तर की ओर मुड़ जाता है जिसे नक्शे में दर्शाया गया है। वादी के गाटा सं0– 810 से लगी हुई आबादी है जहॉ पर तमाम लोगों के घर हैं और उसी आबादी पर प्रतिवादीगण के भी मकानात बने हुए है जिनका निकास उत्तर दिशा में है जहॉ पर प्रतिवादीगण अपना निस्तार करते हैं। प्रतिवादीगण वादी की भूमिधरी गाटा सं0– 810 पर जबरन दक्षिण दिशा की तरफ दरवाजा करके कब्जा कर रहे हैं और उसी पर अपने मवेशी आदि बांधकर कब्जा करके निर्माण कार्य करने की मंशा से मिट्टी, गिट्टी, बालू आदि सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं जिसे विवादित भूमि के रूप में क,य,च,र, से प्रदर्शित किया गया है। यदि प्रतिवादीगण अपने मंसूबे में सफल हुए तो वादी को बहुत बड़ी क्षति होगी। विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है और न ही उनको कोई अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण को ऐसा करने पर रोकने पर झगड़ा फसाद पर अमादा हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं। अतः जरिये शाश्वत व्यादेश प्रतिवादीगण को रोक दिया जाये कि वह गाटा सं0– 810 रकवा 0.680 हे0 के उत्तर विवादित भूमि क,य,च,र, पर जबरन कब्जा दखल व निर्माण व निस्तार न करें और न ही दक्षिण दिशा में दरवाजा करके निकास करें तथा वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे पर तथा जोतने बोने में कोई हस्तक्षेप न करें।

3. वादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 9ग1 से कागज सं0– 10ग1 नकल उद्धरण खतौनी, कागज सं0–11ग1 नकल खसरा, कागज सं0– 12ग1 विवादित स्थल का नक्शा आदि दाखिल किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0–1 वादी इन्द्रपाल एवं पी0डब्लू0–2 चन्द्रमा प्रसाद के साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किये गये हैं।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनॉक 05.09.2022 को प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में वाद की कार्यवाही उनके विरूद्ध एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता को एक

पक्षीय रूप से सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरान्त निर्णय दिनॉकित 22.07.2024 के द्वारा वादी का वाद एक पक्षीय रूप से निरस्त कर दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत व्यवहार अपील संस्थित की गयी है।

6. अपीलार्थी द्वारा अपील के आधारों में कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वादी की ओर से दाखिल कागज सं0– 10ग1 उद्धरण खतौरी फसली वर्ष 1426 लगायत 1431 फसली व खसरा कागज सं0– 11ग1 में गाटा संख्या– 810 रकवा 0.680 हे0 में वादी के साथ चार अन्य सहखातेदार बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हैं तथा सहखातेदार बुटुवा, रन्नो, मैना देवी व सखिया को वादी ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है तथा वादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया कि गाटा सं0– 810 रकवा 0.680 हे0 के सन्दर्भ में सभी सहखातेदारों के मध्य विभाजन हो गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि वादी विवादित भूमि पर मालिक काबिज है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्यों कि गाटा संख्या– 810 रकवा 0.680 हे0 का वादी तनहा संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज दखील है तथा सहखातेदार बुटुवा, रन्नो, मैना देवी व सखिया को घर बनाने हेतु छोटे छोटे टुकड़ों में बेचा है, उक्त लोग बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज हो चुके हैं किन्तु धनाभाव के कारण अपने अपने घर नहीं बना सके हैं। चूॅकि सहखातेदारों के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है और जहॉ पर विवाद है वहॉ किसी तरह का स्वत्व व मालिकाना हक सहखातेदारों का नहीं है इसलिए उनको पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रत्युत्तरदातागण सं0– 1 लगायत 5 का स्वत्व व कब्जा दखल कभी नहीं रहा है तथा वह जबरदस्ती के बल पर उसकी भूमि को हड़प कर उसपर निर्माण करना चाहते हैं। प्रत्युत्तरदातागण सम्मन नोटिस तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं आये और न ही कोई प्रतिवादपत्र दाखिल किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी का मालिकाना हक व कब्जा न मानकर कानूनी त्रुटि की है। अमीन ने अपनी आख्या में विवादित भूमि को वादी की ही माना है और गाटा सं0– 810 का ही जुज भाग है जिसपर प्रतिवादीगण के द्वारा कब्जा दरवाजा व लैट्रिन बनाने का उल्लेख किया है, जब कि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी का वाद निरस्त करके कानूनी त्रुटि किया है तथा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

7. मैने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना एवं

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

8. अभिलेखगत तथ्य एवं अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर प्रस्तुत व्यवहार अपील के अवधारणार्थ निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु प्रोद्भूत होते हैं–

1. क्या वादी वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या– 810 रकवा 0.680हे0 जिसे वादपत्र के अन्त में अक्षर क,ख,ग,घ, से प्रदर्शित किया गया है, का स्वामी काबिज दखील है?

2. क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?

3. क्या वादी वादग्रस्त भूमि के संबंध में शाश्वत व्यादेश का उपचार प्राप्त करने का अधिकारी है?

9. **<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0–1, 2 व 3</u>**

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार तिवारी का यह तर्क है कि आराजी नं0– 810 रकवा 0.680 हे0 अर्थात 3 बीघा 18 बिस्वा में से 6 बिस्वा बुटुआ को, रन्नू व मैना देवी को 5 बिस्वा तथा सखिया को 4 बिस्वा का बैनामा इन्द्रपाल वादी ने किया था जिसके आधार पर उक्त क्रेतागण का नाम सहखातेदार के रूप में वादी के साथ दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा आराजी नं0– 810 रकवा 0.680हे0 के ऑशिक भाग पर कब्जा करके निर्माण करना चाहते थे, इसलिए यह वाद संस्थित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा कर निर्माण भी किया गया है।

10. प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में यह संप्रेक्षित किया गया है कि वादी द्वारा दाखिल प्रलेखीय साक्ष्य कागज सं0– 10ग1 उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1426–1421 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गाटा सं0– 810 रकवा 0.680हे0 में वादी के साथ चार अन्य सहखातेदार बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हैं। शेष चार सहखातेदार बुटुवा, रन्नों, मैना देवी व सखिया को वादी ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। खसरा कागज सं0– 11ग1 में विवादित गाटा सं0– 810 रकवा 0.680 हे0 पर वादी के साथ चार अन्य सहखातेदार दर्ज हैं। नकल खतौनी व नकल खसरा में वादी के साथ शेष चार सहखातेदारों को वादी द्वारा पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है और न ही वादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है जिससे यह विदित हो कि गाटा सं0– 810 रकवा 0.680हे0 के सन्दर्भ में सभी सहखातेदारों के मध्य विभाजन हो गया हो।

12. यहॉ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या एक सहखातेदार अन्य सहखातेदारों

की तरफ से निषेधाज्ञा का वाद संस्थित कर सकता है? प्रस्तुत मामले में निश्चित तौर पर खतौनी में वादी इन्द्रपाल के साथ बुटुआ, रन्नू, मैना देवी व सखिया का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है जिनके विरूद्ध वादी ने कोई उपचार की मॉग नहीं की है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **टीएमटी. कसथूरी राधाकृष्णन एवं अन्य प्रति एम. चिन्नियन एवं अन्य सिविल अपील सं0– 5158/2009 निर्णीत दिनॉकित 28 जनवरी 2016** के मामले में अन्य बातों के अलावा यह अवधारित किया गया है कि जहॉ पर बेदखली की कार्यवाही की विषयवस्तु के कई सहस्वामी हैं वहॉ पर प्रत्येक सहस्वामी संयुक्त सम्पत्ति के प्रत्येक भाग का स्वामी होता है और यह नहीं कहा जा सकता कि वह केवल एक भाग का स्वामी है जब तक सम्पत्ति का विभाजन नहीं हो जाता। वह अॅकेले बिना अन्य को शामिल किये हुए बेदखली का वाद संस्थित कर सकता है।

14. प्रस्तुत वाद में वादी ने सम्पूर्ण भूमि का दावा दाखिल किया है जिसके संबंध में क्रेतागण, जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, सहस्वामी हैं। सहस्वामी के विरूद्ध वाद संस्थित नहीं किया गया है। एक सहस्वामी अन्य की तरफ से निषेधाज्ञा का वाद संस्थित कर सकता है।

15. प्रस्तुत वाद वादी ने आराजी नं0–810 के ऑशिक भू–भाग, जिसे वादपत्र के नक्शा नजरी में अक्षर क,य,च,र, से प्रदर्शित किया गया है, के संबंध में संस्थित किया गया है। अपील ज्ञापन के प्रस्तर 3 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वादी ने खतौनी के सहखातेदार क्रमशः बुटुवा, रन्नो, मैना देवी व सखिया को घर बनाने हेतु छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि बेची है और उक्त लोगों का बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज हो चुका है किन्तु धनाभाव के कारण वह अपना अपना घर नहीं बना सकी। सहखातेदार बुटुवा, रन्नो, मैना देवी व सखिया के विरूद्ध किसी तरह का कोई उपचार नहीं चाहा गया है।

16. अदालत अमीन द्वारा प्रस्तुत आख्या व नक्शा कागज सं0– 18ग/1 लगायत 18ग/3 में वादग्रस्त भूमि को अक्षर ए,बी,सी,डी, से प्रदर्शित किया गया है जिसपर अदालत अमीन ने लैट्रिन घर आदि बने होने का उल्लेख किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में इस तथ्य को सम्प्रेक्षित किया गया है कि अमीन द्वारा जो विवादित स्थल दिखाया गया है वह वादी द्वारा वादपत्र के अन्त में दर्शित नक्शा नजरी से मेल नहीं खाता है। वादी द्वारा अपने वादपत्र के अन्त में जो विवादित भूमि दर्शायी गयी है वह भूमि गाटा सं0– 810 रकवा 0.680हे0 के अन्दर दिखाया गया है तथा विवादित स्थल दुर्जनपुरवा से लगा हुआ दिखाया गया है।

17. अमीन द्वारा प्रस्तुत आख्या कागज सं0– 18ग के अवलोकन से यह विदित होता है कि अदालत अमीन ने विवादित भूमि ए,बी,सी,डी, के पूरब दिशा में मऊ(ब) दुर्जन पुरवा पक्का सम्पर्क मार्ग एवं वादी इन्द्रपाल का खेत स्थित होना बताया है। पश्चिम दिशा में बाबादीन, श्रीपाल आदि के कब्जे वाला खेत, उत्तर दिशा में प्रतिवादीगण के कब्जे वाले मकानात होना बताया है। वादपत्र के नक्शा नजरी में विवादित भूमि के उत्तर मकान सदाशिव, मकान जगतपाल, मकान रामशरन, मकान मतगंजन, मकान रामबहोरी को प्रदर्शित किया गया है। नक्शा नजरी अमीन में भी प्रतिवादीगण के मकानात को विवादित भूमि के उत्तर तरफ दिखाया गया है तथा मकानात के पूरब मार्ग प्रदर्शित किया गया है। वादपत्र के नक्शा नजरी में भी मार्ग प्रदर्शित है।

18. यहॉ पर इस तथ्य का उल्लेख करना समीचीन होगा कि अदालत अमीन द्वारा प्रदर्शित नक्शा व आख्या सारवान प्रकृति का साक्ष्य नहीं है अपितु मौके की स्थिति के संबंध में एक तथ्यपरक प्रलेख है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अमीन आख्या को आदेश दिनॉकित 09.07.2024 के द्वारा साक्ष्य के अधीन पुष्ट भी किया गया है। वादपत्र के नक्शा नजरी में वादग्रस्त भूमि की जो नवैय्यत प्रदर्शित है वह अमीन द्वारा प्रस्तुत आख्या व नक्शा से सर्वथा प्रतिकूल नहीं है। इस संबंध में जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्ष दिया गया है वह अभिलेखों से समर्थित व सम्पुष्ट नहीं है।

19. आराजी नं0– 810 के कितने भाग पर अतिक्रमण किया गया है, अदालत अमीन की आख्या में निर्माण का उल्लेख किया गया है, यह निर्माण कब किया गया, इन सब बिन्दुओं पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। विवादित भूमि आराजी नं0–810 का भाग है या नहीं, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कोई सर्वे आख्या आहूत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में शाश्वत व्यादेश के उपचार के पूर्व इन बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इन सब बिन्दुओं पर विचार न करके वैधानिक त्रुटि कारित की गयी है। उपरोक्तानुसार बिन्दु सं0– 1, 2 व 3 निर्णीत किये जाते हैं।

20. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचारगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय दिनॉकित 22.07.2024 व आज्ञप्ति दिनॉकित 03.08.2024 अपास्त करते हुए मामले में उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करके विधि तथ्यों के अनुरूप निर्णय पारित किये जाने हेतु पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय को सन्दर्भित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थीगण की ओर से **प्रस्तुत व्यवहार अपील सं0–17/2024 इन्द्रपाल व अन्य बनाम रामबहोरी व अन्य** स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनॉकित 22.07.2024 एवं आज्ञप्ति दिनॉकित 03.08.2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वह निर्णय में दिये गये संप्रेक्षण के आधार पर विधि तथ्यों के अनुरूप निस्तारण करना सुनिश्चित करे। विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति सहित अविलम्ब वापस भेजा जाये। पक्षकार विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनॉक 29.04.2026 को उपस्थित हों।

(शेष मणि)
जनपद न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी05751

दिनॉक–04.04.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

(शेष मणि)
जनपद न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी05751

दिनॉक– 04.04.2026